पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1489

दिनांक-19.08.2026

थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट लखनऊ

- **डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ₹42.09 लाख की साइबर ठगी के प्रकरण में ₹13.83 लाख की धनराशि फ्रीज/होल्ड कराई गई।**

01-कार्यवाही विवरण-

श्रीमान तरूण गाबा पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ, श्रीमती अपर्णा कुमार संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय द्वारा साइबर अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, अनिल कुमार यादव पुलिस उपायुक्त अपराध एवं श्रीमती किरन यादव, अपर पुलिस उपायुक्त अपराध के कुशल निर्देशन तथा सहायक पुलिस आयुक्त-साइबर के पर्यवेक्षण में थाना साइबर क्राइम लखनऊ की टीम द्वारा **डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ₹42.09 लाख की साइबर ठगी के प्रकरण में ₹13.83 लाख की धनराशि फ्रीज/होल्ड कराई गई।**

थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट लखनऊ पर वादी मुकदमा जमील अब्बास जमाली द्वारा स्वयं को डिजिटल अरेस्ट किए जाने एवं इस दौरान कुल ₹42,09,869/- की साइबर ठगी किए जाने के संबंध में मु0अ0सं0 89/2026, धारा 318(4), 319(2), 351(4) बीएनएस एवं 66D आईटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया है।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण-

विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि साइबर ठगों द्वारा वादी से ठगी गई धनराशि को कुल 06 बैंक खातों में स्थानांतरित कराया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक खातों पर आवश्यक कार्रवाई कर धनराशि को फ्रीज/होल्ड कराया गया।

अभी तक 02 बैंक खातों से संबंधित विवरण प्राप्त हो चुका है, जिनके संबंध में की गई कार्रवाई के फलस्वरूप कुल ₹13,83,735/- की धनराशि फ्रीज/होल्ड कराई जा चुकी है।

03-तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण-

विवेचना के दौरान घटना में प्रयुक्त/सम्मिलित पाए गए 06 मोबाइल नंबरों के संबंध में तकनीकी जानकारी प्राप्त की गई। उक्त मोबाइल नंबर विभिन्न राज्यों, जिनमें असम, गुजरात एवं कर्नाटक शामिल हैं, से संबंधित पाए गए हैं।

WhatsApp से प्राप्त तकनीकी विवरण एवं IP संबंधी जानकारी के विश्लेषण में विभिन्न IP लोकेशन कम्बोडिया, यूएई, चीन आदि देशों से संबंधित पाई गई हैं। पुलिस द्वारा बैंक खातों, मोबाइल नंबरों, IP एड्रेस एवं अन्य डिजिटल साक्ष्यों की आपस में कड़ियां जोड़कर घटना में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान एवं उनकी भूमिका के संबंध में साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। शेष बैंक खातों एवं अन्य तकनीकी साक्ष्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है।

04-आमजन से अपील-

Digital Arrest जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। कोई भी पुलिस अधिकारी अथवा जांच एजेंसी वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी का भय दिखाकर धनराशि ट्रांसफर करने के लिए नहीं कहती। ऐसे किसी कॉल पर घबराएं नहीं और अपनी बैंकिंग अथवा व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली साइबर ठगी के प्रति स्वयं जागरूक रहें तथा अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। किसी भी संदिग्ध कॉल, वीडियो कॉल अथवा ऑनलाइन दबाव की स्थिति में तत्काल 1930 पर कॉल करें तथा cybercrime.gov.in पर शिकायत करें- **किरन यादव आईपीएस एडीसीपी क्राइम, कमिश्नरेट लखनऊ**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 1485
दिनांक-19.08.2026

लखनऊ के अन्तर्गत थाना- गोसाईगंज,कृष्णानगर,बंथरा,मोहनलालगंज के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्तियों को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से किया गया निष्कासित (जिला बदर) –

मा0न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु निम्नलिखित विपक्षीगण के विरुद्ध न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0-1970 की धारा-03 के तहत गुण्डा घोषित किया गया है।

क्र0सं0	थाना	नाम पता विपक्षी जो जिलाबदर हुये	जिला बदर की अवधि
1.	गोसाईगंज	सूरज मिश्रा उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र लालजी मिश्रा निवासी-मातनटोला चतुर्भुजी मंदिर के पास, कस्बा व थाना – गोसाईगंज, लखनऊ	06 माह (जिलाबदर)
2.	कृष्णानगर	सर्वेश पाल उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र श्यामलाल पाल निवासी-551क/480 संजय गाँधी मार्ग, गली नं0-04 आजादनगर थाना-कृष्णानगर, लखनऊ	06 माह (जिलाबदर)
3.	कृष्णानगर	वीर सिंह उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र राजकुमार यादव निवासी-अलीनगर सुनहरा,थाना-कृष्णानगर, लखनऊ	06 माह (जिलाबदर)
4.	बंथरा	अंकित राज उर्फ़ अंकित गौतम उम्र करीब 31 वर्ष पुत्र दिलीप कुमार निवासी-ग्राम-बंथरा सिकंदरपुर , थाना-बंथरा, लखनऊ	06 माह (जिलाबदर)
5.	मोहनलालगंज	राजेन्द्र उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र नन्हकऊ प्रसाद उर्फ़ नन्कऊ निवासी-ग्राम-केसरीखेड़ा मजरा सिसेंडी , थाना-मोहनलालगंज,लखनऊ	06 माह (जिलाबदर)

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1487
दिनांक-19.08.2026

जोन-उत्तरी / थाना- माल

- **थाना माल पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार ।**

01- संक्षिप्त विवरण-

माननीय न्यायालयों द्वारा निर्गत गैर-जमानती वारंटों (NBW) के अनुपालन में थाना माल पुलिस द्वारा वारण्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निरंतर अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 19.08.2026 को थाना माल पुलिस की टीम द्वारा क्षेत्र भ्रमण, अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम, शांति एवं कानून-व्यवस्था ड्यूटी, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग तथा वारण्टी अपराधी की तलाश के दौरान उनके निवास स्थान पर दबिश देकर 01 नफर वारण्टी को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत गैर-जमानती वारंट से अवगत कराते हुए विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

गिरफ्तारी के संबंध में अभियुक्त के परिजन को नियमानुसार सूचना दी गई। गिरफ्तारी की सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर वारण्टी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-संबन्धित वाद का विवरण-

1. वाद सं0 141735/23 मु0अ0सं0 342/23, धारा 380/411 भादवि, थाना माल, लखनऊ

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1-दिनेश पासी पुत्र कल्लू पासी नि0 ग्राम चक सैदापुर थाना माल लखनऊ उम्र 32 वर्ष (व्यवसाय-मजदूरी)

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना माल-

1. उ0नि0 श्री रजनीशकांत भारती
2. उ0नि0 श्री रवि कुमार कटियार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 1486
दिनांक-19.08.2026

जोन- दक्षिणी / थाना-बिजनौर

- **थाना बिजनौर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में वांछित चल रहे एवं माननीय न्यायालय से जारी गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही विवरण:-

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरुण गाबा व श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्व चलाये जा रहे अभियान का क्रम में पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के मार्गदर्शन में व सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बिजनौर श्री कपिल गौतम द्वारा गठित पुलिस टीम ने चोरी के अभियोग में वांछित चल रहे एवं माननीय न्यायालय से जारी गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 17.03.2025 को वादी श्री राजेश वाजपेयी पुत्र श्री रामसेवक वाजपेयी निवासी मानसरोवर सेक्टर-ओ न्यू गुडौरा थाना बिजनौर लखनऊ की तहरीरी सूचना पर 1. अज्ञात महिला 2. दो अज्ञात पुरुष द्वारा वादी मुकदमा की दुकान में जेवर खरीदने आना व कुछ जेवर खरीदने के पश्चात कुछ अन्य जेवर चोरी कर लेने के सम्बन्ध थाना बिजनौर पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-79/2025,धारा-305(a) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था।

जिसमें विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण 1-रिंकी शुक्ला,2.ऋषि शुक्ला, 3.शमी जोशी का नाम प्रकाश में आया, अभियुक्तगण रिंकी शुक्ला व ऋषि शुक्ला को पूर्व में दिनांक-29.05.2025 को थाना तिलक जनपद शाहजहांपुर से चोरी के अभियोग में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। अभियुक्त शमी जोशी काफी समय से फरार चल रहा था। जिसके विरुद्ध मा0 न्यायालय एसीजेएम द्वितीय जनपद लखनऊ द्वारा एनबीडब्लू निर्गत किया गया था।

अभियुक्त की तलाश पतारसी जारी थी कि दिनांक18.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शमी को गिरफ्तार कर समस्त विधिक कार्यवाही पूर्ण कर आज दिनांक19.08.2026 को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी:-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि, "साहब, दिनांक-17.03.2025 को मैंने अपने साथियों के साथ सोना खरीदने के बहाने महाकाल ज्वैलर्स की दुकान पर गया था। हम लोग दुकान पर ग्राहक बनकर गये थे और वहां सोने के आभूषण/सामान खरीदने के संबंध में दुकानदार से बातचीत की थी। इसी दौरान हम लोगों ने दुकान से कुछ सामान पैसे देकर खरीदा था। मौका देखकर मेरे तथा मेरे साथियों द्वारा सोने की जेवरात चोरी कर लिया गया था। चोरी किये गये सोने के जेवरात को लेकर हम लोग वहां से निकल गये थे। दुकान से निकलने के बाद हम लोगों ने वह चोरी किया हुआ सोना रास्ते में चलते-फिरते लोगों को सस्ते दामों में बेच दिया था। हम लोगों को रुपयों की आवश्यकता थी। चोरी किये गये सोने को बेचकर जो रुपये प्राप्त हुए थे, उन रुपयों को हमने आपस में बांट लिया था। मेरे हिस्से में जो रुपये आये थे, वे रुपये मैंने खर्च कर लिया है। गिरफ्तारी के डर से मैं इधर उधर छिप कर रह रहा था। साहब, मुझसे गलती हो गयी, मुझे माफ कर दीजिये।"

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. शमी जोशी पुत्र शिवकुमार निवासी नयापुरवा थाना बेनीगंज जिला हरदोई क्षेत्र बेनीगंज जनपद हरदोई उम्र करीब 30 वर्ष।

05-अनावरित अभियोग का विवरणः-

1. मु0अ0सं0-79/2025, धारा-305(a) BNS थाना बिजनौर लखनऊ।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 विजय सिंह थाना बिजनौर लखनऊ
2. उ0नि0 सुधीर कुमार थाना बिजनौर लखनऊ
3. हे0का0 अरुण कुमार सिंह थाना बिजनौर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 1486
दिनांक-19.08.2026

जोन- दक्षिणी / थाना-बिजनौर

- **थाना बिजनौर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में वांछित चल रहे एवं माननीय न्यायालय से जारी गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही विवरण:-

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरुण गाबा व श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्व चलाये जा रहे अभियान का क्रम में पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के मार्गदर्शन में व सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बिजनौर श्री कपिल गौतम द्वारा गठित पुलिस टीम ने चोरी के अभियोग में वांछित चल रहे एवं माननीय न्यायालय से जारी गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 17.03.2025 को वादी श्री राजेश वाजपेयी पुत्र श्री रामसेवक वाजपेयी निवासी मानसरोवर सेक्टर-ओ न्यू गुडौरा थाना बिजनौर लखनऊ की तहरीरी सूचना पर 1. अज्ञात महिला 2. दो अज्ञात पुरुष द्वारा वादी मुकदमा की दुकान में जेवर खरीदने आना व कुछ जेवर खरीदने के पश्चात कुछ अन्य जेवर चोरी कर लेने के सम्बन्ध थाना बिजनौर पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-79/2025,धारा-305(a) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था।

जिसमें विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण 1-रिंकी शुक्ला,2.ऋषि शुक्ला, 3.शमी जोशी का नाम प्रकाश में आया, अभियुक्तगण रिंकी शुक्ला व ऋषि शुक्ला को पूर्व में दिनांक-29.05.2025 को थाना तिलक जनपद शाहजहांपुर से चोरी के अभियोग में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। अभियुक्त शमी जोशी काफी समय से फरार चल रहा था। जिसके विरुद्ध मा0 न्यायालय एसीजेएम द्वितीय जनपद लखनऊ द्वारा एनबीडब्लू निर्गत किया गया था।

अभियुक्त की तलाश पतारसी जारी थी कि दिनांक18.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शमी को गिरफ्तार कर समस्त विधिक कार्यवाही पूर्ण कर आज दिनांक19.08.2026 को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी:-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि, "साहब, दिनांक-17.03.2025 को मैंने अपने साथियों के साथ सोना खरीदने के बहाने महाकाल ज्वैलर्स की दुकान पर गया था। हम लोग दुकान पर ग्राहक बनकर गये थे और वहां सोने के आभूषण/सामान खरीदने के संबंध में दुकानदार से बातचीत की थी। इसी दौरान हम लोगों ने दुकान से कुछ सामान पैसे देकर खरीदा था। मौका देखकर मेरे तथा मेरे साथियों द्वारा सोने की जेवरात चोरी कर लिया गया था। चोरी किये गये सोने के जेवरात को लेकर हम लोग वहां से निकल गये थे। दुकान से निकलने के बाद हम लोगों ने वह चोरी किया हुआ सोना रास्ते में चलते-फिरते लोगों को सस्ते दामों में बेच दिया था। हम लोगों को रुपयों की आवश्यकता थी। चोरी किये गये सोने को बेचकर जो रुपये प्राप्त हुए थे, उन रुपयों को हमने आपस में बांट लिया था। मेरे हिस्से में जो रुपये आये थे, वे रुपये मैंने खर्च कर लिया है। गिरफ्तारी के डर से मैं इधर उधर छिप कर रह रहा था। साहब, मुझसे गलती हो गयी, मुझे माफ कर दीजिये।"

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. शमी जोशी पुत्र शिवकुमार निवासी नयापुरवा थाना बेनीगंज जिला हरदोई क्षेत्र बेनीगंज जनपद हरदोई उम्र करीब 30 वर्ष।

05-अनावरित अभियोग का विवरणः-

1. मु0अ0सं0-79/2025, धारा-305(a) BNS थाना बिजनौर लखनऊ।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 विजय सिंह थाना बिजनौर लखनऊ
2. उ0नि0 सुधीर कुमार थाना बिजनौर लखनऊ
3. हे0का0 अरुण कुमार सिंह थाना बिजनौर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 1488
दिनांक- 19.08.2026

जोन- दक्षिणी / थाना- बिजनौर

- **थाना बिजनौर पुलिस द्वारा जनता के सहयोग से जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 18.08.2026 को वादी श्री आशीष चौधरी पुत्र दुखहरण चौधरी निवासी न्यू बेहसा थाना सरोजनीनगर लखनऊ अपने मित्र श्वेत मिश्रा पुत्र नागेन्द्र मिश्रा निवासी गड़ौरा थाना बिजनौर लखनऊ व हासिम अली पुत्र छुन्नू लाल निवासी बदाली खेड़ा कानपुर रोड लखनऊ के साथ उपस्थित थाना आकर तुलसीराम पुत्र महेश निवासी न्यू बेहसा सरोजनीनगर लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष के पास से बरामद एक चाकू लेकर थाना बिजनौर उपस्थित आये ।

अभियुक्त तुलसीराम पुत्र महेश निवासी न्यू बेहसा सरोजनीनगर लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष, 2.आयुष पुत्र अज्ञात, 3. एक अज्ञात व्यक्ति निवासीगण अज्ञात के विरूद्ध पुरानी रंजिश को लेकर बीच रास्ते में गाड़ी रोककर जान से मारने की नियत से चाकू से हमला करना जिससे वादी मुकदमा व वादी के मित्र श्वेत मिश्रा के चोट आना व बीच-बचाव करने पर गाली-गलौज व मारपीट करते हुये जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया, प्राप्त पार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0-0221/2026 धारा 126(1)/115(2)/352/351(3)/109(1)/118(1) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिजनौर, लखनऊ पर पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

02-पूछताछ अभियुक्तः-

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया कि साहब दो दिन पूर्व गाड़ी बैक करने को लेकर आशीष (वादी) से मेरा विवाद हुआ था। इस कारण मैने दिनांक 18.08.2026 की शाम को मैने अपने साथियों के साथ मिलकर आशीष के ऊपर चाकू से वार किया था । साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझ से गलती हो गयी ।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1- तुलसीराम पुत्र महेश कुमार निवासी न्यू बेहसा थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष।

04- पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0-221/2026,धारा-126(1)/115(2)/352/351(3)/109(1)/118(1) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिजनौर लखनऊ ।

05- आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0- 0221/2026 धारा 126(1)/115(2)/352/351(3)/109(1)/118(1) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिजनौर लखनऊ।
2. मु0अ0सं0- 46/2025 धारा 115(2)/333/351(3)/352 बीएनएस थाना सट्टी कानपुर देहात।

06- पुलिस टीमः-

1. का0 अमित कुमार थाना बिजनौर लखनऊ
2. म0का0 कल्पना गौतम थाना बिजनौर लखनऊ